रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2012/आश्विन 9, 1934
No. 212] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2012/ASVINA 9, 1934

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

एस. ए. एस. नगर, 25 सितम्बर, 2012

सं. फा. 204/ओआर/ए व ई/1132.—राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 28 और धारा 29 के अनुसरण में, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के सिनेट ने निम्नलिखित 13 एवं 14 अध्यादेश में संशोधन किया है, जिसमें संस्थान के स्नातकोत्तर और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के छात्रों से संबंधित छात्रवृत्ति और छात्रों के पंजीकरण के लिए पात्रता के विनियम विधिवत् किए हैं और यह निर्देश देते हैं कि उक्त अध्यादेश में संशोधन प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

2 अगस्त, 2011 को आयोजित बी. ओ. जी. की 54वीं बैठक में अनुमोदित धारा 13(4) का संशोधन.—"छात्रवृत्ति किसी भी समय समाप्त कर दी जाएगी यदि पाने वाले व्यक्ति के कार्य की प्रगति और व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया जाता है" का संशोधन निम्नलिखित है ।

"छात्रवृत्ति किसी भी समय समाप्त कर दी जाएगी यदि पाने वाले व्यक्ति के कार्य की प्रगति और व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया जाता है । तथापि, यदि किसी विद्यार्थी के प्रति कोई विपरीत कार्यवाही की जाती है तो छात्र/छात्रा को उसकी सुनवाई के लिए अवसर दिया जाएगा ।"

2 अगस्त, 2011 को आयोजित बी. ओ. जी. की 54वीं बैठक में अनुमोदित धारा 14(12) का संशोधन.—विद्यार्थी का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसी परिस्थिति के अधीन रद्द हो जाएगा :—

(1) यदि विद्यार्थी पूर्व सूचना के बिना या छुट्टी की मंजूरी लिए बिना चार सप्ताह की लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है ।

(2) यदि विद्यार्थी कार्यक्रम से त्यागपत्र देता है, तथा विद्यार्थी अनुसंधान समिति (एस. आर. सी.) द्वारा त्यागपत्र की यथावत् संस्तुति की जाती है ।

(3) यदि विद्यार्थी किसी सत्र के लिए पंजीकरण नहीं करता है ।

(4) यदि विद्यार्थी का शैक्षिक निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है ।

(5) यदि विद्यार्थी परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है ।

(6) यदि विद्यार्थी दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता में दोषी पाया जाता है और उसके निष्कासन की संस्तुति सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है ।

तथापि, यदि किसी विद्यार्थी के प्रति कोई विपरीत कार्यवाही की जाती है तो छात्र/छात्रा को बिन्दु 14(12)(1), (4) तथा (6) के अनुसार उसकी सुनवाई के लिए अवसर दिया जाएगा ।

प्रो. क. कु. भूटानी, निदेशक (कार्यवाहक)

[विज्ञापन III/4/355-एस/12/असा.]

NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH

NOTIFICATION

S. A. S. Nagar, the 25th September, 2012

F. No. 204/OR/A & E/1132.—In pursuance of Sections 28 and 29 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), the Senate of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research hereby makes the following amendments in the Ordinance 13 and 14, regulating the scholarships and Registration of Student of the Institute relating to the Degree of Masters' and Doctor of Philosophy and directs that the said amendments in the Ordinance shall come into force with effect from the date of its publication, namely :—

Amendment of Section 13(4) approved in 54th Meeting of BOG held on 2nd August, 2011.—"The scholarship will be liable to termination at any stage, if the progress of work and the conduct of the award are not found satisfactory." is amended to

> "The scholarship will be liable to be terminated at any stage, if the progress of work and the conduct of the awardee are not found satisfactory. However, student will be given an opportunity to be heard before any adverse action is initiated agaist him/her."

Amendment of Section 14(12) approved in 54th Meeting of BOG held on 2nd August, 2011.—The registration of the student will stand cancelled under any one of the following circumstances :—

(i) if the student remained absent for a continuous period of four weeks without prior intimation or sanction of the leave;

(ii) if the student resigns from the programme and the resignation is duly recommended by the Student Research Committee (SRC);

(iii) if the student fails to register for any semester;

(iv) if the academic performance of the student is found unsatisfactory;

(v) if the student does not clear the examinations;

(vi) if the student is found to be involved in an act of misconduct and/or indiscipline and termination is recommended by a competent authority.

However, student will be given an opportunity to be heard before any adverse action as at 14(12) (i), (iv) and (vi) is initiated against him/her.

Prof. K. K. BHUTANI, Director (Offg.)

[ADVT. III/4/355-S/12/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.